संख्या-238/2016/823/22-2-2016-17(199)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 23 नवम्बर 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी हाकिम सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह निवासी जनपद-आगरा नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3284/पर-7/(एम-20-01-2016) दिनांक-03-02-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी हाकिम सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह निवासी ग्राम-नई आबादी नगला जस्सा, थाना-सदर बाजार, जनपद-आगरा का रहने वाला है। दहेज में 50 हजार रूपये व मोटर साईकिल की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 01-03-2009 की रात्रि में मिटटी का तेल छिडक कर अपनी पत्नी नीरज पर आग लगा दी। जिसकी इलाज के दौरान दिनांक 02-03-2009 को पूर्वान्ह 10:15 बजे मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-624/2009 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-304 व 3/4 डी0पी0एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश संख्या-20, आगरा द्वारा दिनांक 17-10-2012 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.09.2015 तक 06 वर्ष 04 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 07 वर्ष 04 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है किन्तु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 19-07-2014 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने एवं जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 19-07-2014 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट आगरा द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हाकिम सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह निवासी जनपद- आगरा नगर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हाकिम सिंह (बन्दी संख्या-16371) पुत्र श्री मोहर सिंह निवासी जनपद- आगरा नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-238/2016/823(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-आगरा ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-238/2016/823/22-2-2016-17(199)/2016

दिनांक 23 नवम्बर, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध बन्दी हाकिम सिंह(बन्दी संख्या-16371) पुत्र श्री मोहर सिंह निवासी ग्राम-नई आबादी नगला जस्सा, थाना-सदर बाजार, जनपद-आगरा का रहने वाला है। दहेज में 50 हजार रूपये व मोटर साईकिल की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 01-03-2009 की रात्रि में मिटटी का तेल छिडक कर अपनी पत्नी नीरज पर आग लगा दी। जिसकी इलाज के दौरान दिनांक 02-03-2009 को पूर्वान्ह 10:15 बजे मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी सत्र परीक्षण संख्या-624/2009 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-304 व 3/4 डी0पी0एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश संख्या-20, आगरा द्वारा दिनांक 17-10-2012 को 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 23.09.2015 तक 06 वर्ष 04 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 07 वर्ष 04 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है किन्तु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 19-07-2014 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने एवं जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 19-07-2014 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट आगरा द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष हाकिम सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह निवासी जनपद- आगरा नगर को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in